



अत्यामेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

कोटा विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर - 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक एफ.32(3)आरबी/2017/6452
दिनांक 6 अगस्त, 2018

आदेश

मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2003 (यथा संशोधित 2013) की धारा 11(3) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोज-बीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ० (श्रीमती) नीलिमा सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बायो केमिस्ट्री विभाग, जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर (म०प्र०) - 474009 को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा नियुक्त करता हूँ।

ह०/-

(कल्याण सिंह)

कुलाधिपति,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

क्रमांक एफ.32(3)आरबी/2017/6453-58

दिनांक 6 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान० मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ० (श्रीमती) नीलिमा सिंह, 19 जेएच कैम्पस, जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर (म०प्र०) -474009
5. प्रो० अशोक शर्मा, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

(देबाशीष पृष्ठी)
सचिव

राज्यपाल, राजस्थान